पत्रांक :–3/यो01–07/2025 (उ0शि0)....118/४५६/...
झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉची।

रॉची, दिनांक ...29/08/2025...

विषयः– **NATS अंतर्गत डिग्रीधारी (गैर अभियंत्रण) Graduate Apprentice की सेवा प्राप्त किये जा रहे प्रत्येक Graduate Apprentice को रू0 7,500/– प्रति माह की दर से Stipend की कुल राशि (राज्य मद) रू0 73,80,000/– (तिहत्तर लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

प्रसंगः– **विभागीय संकल्प संख्या 2257 दिनांक 02.11.2023 एवं रॉची विश्वविद्यालय, रॉची का पत्रांक 720 दिनांक 02.08.2025**

आदेश :– स्वीकृत ।

विभागीय संकल्प संख्या 2257 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सकरार के माध्यम से शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 (Apprentice Act 1961) के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय, झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् तथा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCST&I) में राज्य के उत्तीर्ण (डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त) छात्रों को Graduate Apprentice/Technician Apprenticesके रूप में एक वर्ष का Apprenticeship प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS-निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 65.00 करोड़ (पैसठ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 95.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. उपरोक्त के आलोक में NATS अंतर्गत डिग्रीधारी (गैर अभियंत्रण) Graduate Apprentice की सेवा प्राप्त किये जा रहे प्रत्येक Graduate Apprentice कोरू0 7,500/– प्रति माह की दर से Stipend की कुल राशि (राज्य मद) रू0 73,80,000/– (तिहत्तर लाख अस्सी हजार रूपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है–

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	Graduate Apprentice (Non Engineering) की संख्या	योगदान की तिथि से वर्ष के लिए Stipend की राशि (राज्य मद)
1	रॉची विश्वविद्यालय, रॉची	82	73,80,000=00
	कुल योग –		73,80,000=00

4. उपरोक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थाना हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड–21S220203796BS010679) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।"

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
–	–	–

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव (उच्च शिक्षा), उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,झारखण्ड, रॉची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुलसचिव द्वारा योजना–सह– वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

21/8/25

(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–07 / 2025(उ0शि0) 1184/ 2475 / राँची,दिनांक– 29/08/ / 2025

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची / जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जार्ज कुमार) 29/8/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3 / यो01–07 / 2025(उ0शि0) 1184/ 2475 / राँची,दिनांक– 29/08/ / 2025

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव / कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा) / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(जार्ज कुमार) 29/8/25

सरकार के संयुक्त सचिव।